खण्ड-218, अंक-7
बुधवार, 26 माघ, शक संवत् 1882
(15 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LIBRARY
MAY 1960

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १५ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद श्री,
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम श्री,
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री

बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावी प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारी अग्रवाल, श्री
मक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
कनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कश्म, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री

शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री

हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १५ फरवरी, १९६१

तारांकित प्रश्न

*१--३--श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १७--१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४--श्री गौरी राम गुप्त (जिला गोरखपुर)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६--८--श्री मदन पान्डेय (जिला गोरखपुर)--[२७ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न २४--२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नौतनवां में बिजली लगाने की प्रार्थना

*९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर अन्तरिम जिला परिषद् ने गत मई-जून में कोई प्रस्ताव इस विषय का कि जिले की सभी टाउन एरियाओं में बिजली लगाई जावे, पास करके सरकार के पास भेजा है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जी नहीं।

*१०--श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो नौतनवा टाउन एरिया में बिजली कब तक लगाने का विचार सरकार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नौतनवा नगर का विद्युतीकरण लाभप्रद न होने के कारण अभी संभव नहीं है।

*११--श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२--१४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ४३--४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५-१६--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ४६-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१७-१८--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९-२०--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गय।]

*२१—२३—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५२—५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२४—२५—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५५—५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२७ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२८—३०—श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५८—६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३१—३२—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[२७ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न २८—२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३३—३४—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये ।]

*३५—३६—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६१—६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३७—श्री मदन पांडेय—[१६ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[२७ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[१६ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४०—४२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—[१६ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ६५—६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२७ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४४—४५—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ६८—६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४७—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४८—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[१६ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

प्रचार फिल्म

*४९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रचार फिल्म बनाने को दिये गये हैं और उन फिल्मों की कीमत क्या-क्या है तथा उनके सम्बन्ध में कितने-कितने रुपये के टेन्डर पड़े थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान वित्तीय वर्ष में सूचना विभाग द्वारा किसी भी बाहरी व्यक्ति या संस्था को प्रचार फिल्म बनाने के लिये नहीं दिए गए हैं ।

*५०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने फिल्मों की लम्बाई, डाइरेक्टरों की योग्यता व विषयों के चयन के सम्बन्ध में अपने आदेशों में इस वर्ष कोई परिवर्तन किया है ? अगर नहीं, तो विकास कार्यों के सम्बन्ध में कौन से फिल्म व किस कीमत पर इस वर्ष बनेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमिक सहकारी समिति, धरासू की मांगें

*५१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेहरी-गढ़वाल तथा गढ़वाल जिलों में कितनी तथा कौन-कौन सी वन सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं तथा उन्हें सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—टेहरी-गढ़वाल तथा गढ़वाल जिलों में कोई वन-सहकारी समिति रजिस्टर्ड नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां किसी प्रकार की कोई भी सहकारी समिति रजिस्टर्ड है जो वन से लीसा वगैरह निकालने के लिये बनाई गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—केवल एक सहकारी समिति श्रमिकों की है धरासू में जो उत्तर काशी जिले में पड़ता है और सरकार की ओर से उनको कुछ सुविधाएं लीसा वगैरह निकालने और उसके ढोने की दी जाती हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धरासू की जो श्रमिक सहकारी समिति है इसका कोई मांग-पत्र सरकार के पास आया है कि वन विभाग द्वारा अनेकानेक कठिनाइयां उनको लीसा निकालने में और लीसा से और जो संबंधित उपकरण हैं उनको निकालने में है ? यदि हां, तो उनको दूर करने हेतु सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—कठिनाइयों का ऐसा पत्र तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन अगर कोई कठिनाई का पत्र आएगा तो सरकार उस पर बहुत उदारता के साथ विचार करेगी ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सहकारी समिति का तज्किरा अभी आदरणीय सदन के सामने किया गया है वह लीसा टैपर्स की सहकारी समिति है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने अभी कहा कि केवल श्रमिकों की सहकारी समिति है । लीसा निकालने या उसको ढोने का काम करते हैं और सरकार उसके लिये कन्ट्रैक्ट वगैरह देती है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहकारी समिति के गठन के लिये वहां के कुछ लोगों के प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस तरह का कोई पत्र हमारे सामने नहीं है मगर इस संबंध में जो नीति रही है वह यह है कि कुछ कोशिश पहले की गई सहकारी समितियों के बनाने की लेकिन वह चल नहीं पाती है, अनेकों कठिनाइयां होती हैं। बम्बई में भी इस तरह का ऐक्सपेरीमेन्ट हुआ कि वन की सहकारी समितियां कुछ बन जायं लेकिन वह आबादी इतनी बदलती हुई रहती है कि जिसकी वजह से वह चलती नहीं है। सरकार की नीति तो दृढ़ रूप से यह है कि वह इस तरह की सहकारी समितियों के बनाने को कोई खास उत्साह नहीं देती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार की लीसा की उत्पादन समितियां बनाना पर्वतीय क्षेत्र के हित में अत्यन्त आवश्यक है, इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि जितने भी डी० एफ० ओज वगैरह हैं वह इस प्रकार की सहकारी समितियों को स्वतः निर्मित करने हेतु टैपर्स को उत्साहित करें और उनको सुरक्षा भी दें ?

श्री अध्यक्ष—स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा निवेदन है कि भविष्य हेतु क्या सरकार वहां इस प्रकार की उत्पादन समितियां बनाने, उन्हें प्रोत्साहित किये जाने तथा लीसा के सम्बन्ध में जो विभाग के विशेष आदेश निकलते हैं उनमें उन समितियों को लीसा निकालने हेतु कुछ विशेष संरक्षण देने आदि के सम्बन्ध में विशेष आदेश निकालने की कृपा करेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने कहा कि इस तरह के ऐक्सपेरीमेंट के लिये एक ट्रेडिंग संस्था बनायी गई लेकिन उसमें बड़ी विफलता रही, सरकार को बड़ा घाटा रहा और बम्बई स्टेट में भी इस तरह का प्रयोग किया गया, उसमें भी सरकार को घाटा रहा।

मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि अगर माननीय सदस्य बतौर ऐक्सपेरीमेंट इस चीज को किसी एक जगह करना चाहें और योजना बना कर भेंजे तो उसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर सरकार अवश्य उदारतापूर्वक विचार करेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अभी मंत्री जी ने कहा कि सहकारी समितियां बनती हैं और उनके चलने में बड़ी बाधायें पड़ती हैं। यदि हां तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे सहकारी समितियां जो चल नहीं पाती हैं उनमें सबसे बड़ी विशेष बाधा यह भी है कि सबसे ज्यादा अधिकार सहकारी अधिकारियों को हैं और अगर सहकारी अधिकारियों के अधिकार कम किये जायं तो समितियां अधिक चल सकेंगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी नहीं।

*५२—५४—**श्री मदन पांडेय**—[नवें सोमवार के लिए प्रश्न १—३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५५—**श्री गौरीशंकर राय**—[२७ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५६—**श्री ऊदल**—[हटा दिया गया।]

बलिया में बिजली बन्द हो जाना

*५७—**श्री गौरीशंकर राय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले २२ व २३ अगस्त को बलिया नगर की बिजली २४ घंटे से अधिक बन्द रही है जिसके फलस्वरूप नगर का जलकल, पंखा, बत्ती और सभी सम्बन्धित कार्य बन्द रहा ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जलकल के पास सब-स्टेशन को बिजली पहुंचाने वाले ११ के० बी० केबिल में, जो रेल पटरी को जमीन के अन्दर से पार करता है, दोष उत्पन्न हो गया था।

श्री गौरीशंकर राय—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस दोष की जानकारी अधिकारियों को कब हुई और इस दोष को दूर करने में कितना समय लगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—२२-८-६० को साढ़े १२ बजे के करीब यह दोष हुआ और २४ घंटे इसको ठीक करने में लगे।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी को मालूम है कि बलिया में २४ घंटे के अलावा १ घंटे, २ घंटे, आध घंटे का व्यवधान कई महीनों से लगातार बिजली के सब-स्टेशन पर होता रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यह जो दोष उत्पन्न हुआ था यह असाधारण था। केबिल्स जो नीचे से पास होते हैं उसका जो केबिल बाक्स होता है वह डेलीकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, वह खराब हो गया था आजमगढ़ से लोग आये और उन्होंने ठीक किया। यह असाधारण बात थी, कभी-कभी ऐसा होता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या दोष उत्पन्न हो गया था, क्या उसका इंसुलेशन खत्म हो गया था या कहीं लीकेज था, जिससे यह असाधारण स्थिति पैदा हो गई ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मंत्री जी बतायेंगे कि जो थरमल की बिजली आती है इसमें अक्सर व्यवधान रहता है और जनता को कष्ट होता है और इसलिये क्या रिहन्ड की बिजली से इसको संबंधित करने की कृपा करेंगे ताकि समय से और सस्ती बिजली मिल सके ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो बिजली रिहन्द से निकली भी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जिले में खन्नोत नदी के नवनिर्मित पुल पर टोल टैक्स न लगाने की प्रार्थना

*५९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर जिले में खन्नोत नदी का पुल, १९५८ में टूट गया था तथा १९५९ में अस्थायी पुल भी बन गया था ? यदि हां, तो उसने पक्के पुल के बनाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—प्रथम भाग—शाहजहांपुर जिले में खन्नोत नदी पर तीन पुल हैं, ये तीनों टूट गये थे।

द्वितीय भाग—एक पुल बन चुका है और दो पर कार्य प्रगति पर है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उक्त पुल १९५८ में टूट गया था और जनता को निरन्तर यातायात में असुविधा होती रही तो इतनी देर में बनवाये जाने के क्या करण हैं ?

श्री धर्मसिंह—जब ये पुल टूट गये थे तो जनता को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई क्योंकि वहां आने जाने के लिये टेम्पोरेरी पुल बना दिये गये थे जिन पर कार्य होता रहा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जो पुल बन गया है वह नेशनल हाईवेज पर है और ६ फरवरी, १९६१ से चालू हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---जो पुल बन कर तैयार हुआ है वह बरेली, लखनऊ मार्ग पर मील नम्बर १०४ पर स्थित है और उस पर यातायात १५ दिसम्बर, १९६० से खोल दिया गया है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार को विदित है कि यह पुल नगर के दो भागों को जो खन्नौत नदी के पूर्व और पश्चिम में हैं उनको जोड़ती है और इस पुल पर सरकार ने ६ फरवरी से टोल वसूल करना शुरू कर दिया है जिससे नगरवासियों को अत्यन्त कष्ट है ?

श्री धर्मसिंह---यह तो डिटेल की बात है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नगर की कचेहरी, अस्पताल, बाजार तथा विद्यालय ये सब नदी के एक ही ओर हैं और दूसरी ओर के लोग वहां दिन में दो-दो, चार-चार बार आते जाते हैं उस पुल को पार करके, लिहाजा उस पुल पर टोल न लगाया जाय इस पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---उनको मालूम नहीं है, इसीलिये उन्होंने नोटिस मांगा है।

श्री देवनारायण भारतीय---मान्यवर, उन्हें मालूम है कि टोल लगता है।

श्री धर्मसिंह---जहां तक टोल का सम्बन्ध है हमने निवेदन किया कि उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके लिये छानबीन कर ली जायगी।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---दो पुल अभी नहीं बने हैं और उन्हें तीन साल टूटे हो गये हैं तो अभी कितने दिन में वे बन पायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---एक पुल जो शाहजहांपुर-सीतापुर मार्ग पर है और शाहजहांपुर से मील नम्बर १ पर है उसके लिये आशा है ३१ मार्च, १९६१ तक बन जायगा और दूसरा पुल शाहजहांपुरी-पुवायां रोड पर मील नम्बर ७ पर है, उसके लिये आशा है कि बर्षा ऋतु से पहले ही बन जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय---इस पुल पर टोल लगाने से वहां की जनता में अत्यन्त क्षोभ है और जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा सरकार के पास इस बात की प्रार्थना की गयी है कि वह इस टोल को न लगायें। मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था फिर भी वह कह रहे हैं कि उन्हें सूचना नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ये जो नये पुल बने हैं इन पर टोल लगे या न लगे या जहां लग गया है वहां क्या हो, यह सब प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और सरकार इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेगी।

*६०---६२---**श्री राम दुलारे मिश्र**---८ मार्च, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

कानपुर में मिल मालिकों पर बिक्री-कर का बकाया

*६३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के कितने मिल मालिकों के ऊपर मार्च, १९६० तक सेल्स-टैक्स का धन कितना-कितना बाकी है ?

वित्त मंत्री(श्री हरगोविन्दसिंह)---३१-३-६० को कानपुर के ११ मिल मालिकों के ऊपर बिक्री-कर के रूप में २९,३७,८१९.१६ रुपये बाकी थे। प्रत्येक मिल मालिक का नाम तथा उस पर बकाया धनराशि, संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१० पर)

*६४—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों के ऊपर कानपुर में मार्च, १९६० तक सेल्स टैक्स बाकी था उसको वसूल करने के कौन-कौन से उपाय किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—देय धनराशि की वसूली के लिये माल विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बकाया धनराशि की वसूली की गई है। बकाया धनराशि के अधिकांश भाग की वसूली हाईकोर्ट तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई है। इन आदेशों के रद्द किये जाने के पश्चात् ही वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

इसके अलावा यह भी बता दूं कि ३१ मार्च, १९६० के बाद १,०१,८११ रुपये ४९ नये पैसे और वसूल हुये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि जो संलग्न सूची है इसमें श्री माहेश्वरीदेवी जूट मिल कम्पनी जिसके ऊपर ४,३९,८८९.५६ रुपये तथा सर्वश्री न्यु विक्टोरिया मिल्स और म्योर मिल्स कम्पनी जिनके ऊपर लगभग सात सात लाख रुपये और बाकी है यह रुपया कितने दिन से बाकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—एक-एक का पूछिये।

श्री अध्यक्ष—तीन का पूछा उन्होंने, ४, ५ और ७ नम्बर का।

श्री गौरीशंकर राय—एक एक का बतायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—नहीं, इसमें कई पूरक प्रश्न इकट्ठे हो जायेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—माहेश्वरी देवी जूट मिल्स के १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० के हैं। विक्टोरिया मिल के १९५७-५८ के बकाया हैं और म्योर मिल के १९५०-५१, १९५६-५७ और १९५७-५८ के बकाया हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह वसूली इतने दिनों से क्यों रुकी पड़ी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो उत्तर दे दिया है कि कुछ रिट्स दाखिल हैं जो हाई कोर्ट से रुके हुये हैं और कुछ अधिकारियों ने भी रोके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब १,०१,८११ रुपये ४९ नये पैसे की वसूली मार्च, १९६० में की गई है तो इसके लिये कितने रुपये के लैन्ड रेवेन्यू के एरियर्स के सर्टीफिकेट्स इश्यू किये गये थे क्योंकि प्रोसीजर यह है कि माल विभाग को आदेश दिया जाता है कि वह इतने रुपये के सर्टीफिकेट्स ऐज लैन्ड रेवेन्यू एरियर्स के ईश्यू करें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने रुपये के सर्टीफिकेट ईश्यू किये गये और कितने की वसूली हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—एरियर्स तो जितने होते हैं उन सबके ईश्यू किये गये थे लेकिन कुछ हाई कोर्ट से रोके गये। बाद को अधिकारियों ने भी वसूली में दिक्कत होने पर रोके।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को वसूली में दिक्कत हुई तो उनको क्या दिक्कत हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रत्येक मिल में दिक्कत यह थी कि कहीं आपसी झगड़े थे जिसकी वजह से वसूली रोकनी पड़ी।

श्री देवनारायण भारतीय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अभी तो वह जवाब दे रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---चीफ सेक्रेटरी आपकी तरफ पीठ करके चीफ मिनिस्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं।

(मुख्य सचिव वहां से तुरन्त हट गये)

श्री हरगोविन्दसिंह---हाई कोर्ट में रिट हुई उनकी वजह से रुकी, और वसूली में दिक्कत यह हुई कि वह रुपया नहीं दे पा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने रुपये की वसूली हाई कोर्ट से रुकी और कितने रुपये की अधिकारियों ने रोकी और कितने रुपये के सर्टीफिकेट्स अधिकारियों ने ऐज लैन्ड रेवेन्यू एरियर्स के ईश्यू किये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---एरियर्स तो मैं बता चुका हूं कि हाई कोर्ट से १३,३४, ०९२ रुपये ७९ न०पै०, और गवर्नमेंट की वजह से रुके ३,२४,९९९ रुपये ९३ नये पैसे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इसका पूरा उत्तर हो जाना चाहिये

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न कर लें।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि २८ लाख रुपये जो आज तक बाकी हैं उनमें से १३ लाख तो हाई कोर्ट के आदेश पर रुके हुये हैं और ३ लाख सरकारी आदेश से रुके हुये हैं तो बाकी का १२ लाख रुपया कहां गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी अभी १२ लाख रुपया वसूल नहीं हुआ है उसकी वसूली की कोशिश की जा रही है।

श्री राजनारायण---बाकी १२ लाख रुपया जो न हाई कोर्ट के आदेश से रुका है, न सरकार के आदेश से रुका है, उसकी वसूली में क्यों विलम्ब हुआ?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसलिये कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वह नहीं दे पा रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो कई-कई साल तक रुपया बाकी रह जाता है उस पर कोई ब्याज भी उनसे वसूल किया जाता है ? यदि नहीं, तो उसके लिये सरकार कोई विधान लाने का निश्चय कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरा ख़याल है कि कोई सूद नहीं लिया जाता है। अगर आप एक-एक मिल का पूछें तो मैं बतला सकता हूं कि क्या दिक्कतें हैं। आप यह हरगिज न समझें कि उनके प्रति रियायत की जा रही है इसलिये रुपया वसूल नहीं हुआ। उनकी जायदादें कुर्क हैं, किसी को किस्तें दी गयी हैं, वह इस तरह से दे रहे हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि इन ११ मिलों के ऊपर जो रुपया बाकी है उनमें हर एक के ऊपर कितना अलग-अलग बाकी है ?

श्री अध्यक्ष---वह फेहरिस्त तो दी है लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत लोग प्रश्न करना चाहते हैं। (व्यवधान) मैं तो पूरा पढ़ने के लिये कहूंगा। ११ मिलें हैं, वह पढ़ देंगे। समय काफी है, अगर थोड़ा-सा इशारे में हर मिल के बारे में वसूली के कारण भी बता दें तो इतने प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो उत्तर दे दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, वह अंग्रेजी में है ।

श्री अध्यक्ष—उसकी हिन्दी तो बहुत सहज में आप कर सकते हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—मेरा खयाल है, अंग्रेजी सभी समझते होंगे ।

श्री अध्यक्ष—कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं समझते हैं । आप उसकी हिन्दी कर दीजिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन की भाषा हिन्दी है और शायद यह प्रतिवेदन सरकारी सचिवालय से अंग्रेजी में आया है । तो क्या यह उचित है कि यह प्रतिवेदन सदन की जानकारी के लिये हिन्दी में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है । आप हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर—एक आना टैक्स लगाया गया था । हाई कोर्ट ने कहा कि नौ पाई वसूल नहीं कर सकते, तीन पाई वसूल कर सकते हैं । एक पैसे के हिसाब से जितना गवर्नमेंट का था, ६ लाख ९६ हजार ६ रुपये २१ नये पैसे, वसूल हो चुका है । एच० जी० मिश्रा ऐंड कम्पनी, कानपुर ।

श्री अध्यक्ष—पहले आप यह बतला दीजिये कि पूरा कितना बाकी है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—स्वदेशी काटन मिल्स पर ३१ मार्च, १९६० को ३ लाख ६६ हजार ४ सौ ९३ रुपये ६९ नये पैसे बाकी थे । उसमें ६ लाख ९६ हजार ६ रुपये २१ नये पैसे वसूल हुये हैं ।

श्री उग्रसेन—स्वदेशी काटन मिल का एक पैसा वसूल नहीं हुआ है ।

श्री झारखन्डेराय—मेरा सवाल है कि एक एक मिल में अलग-अलग कितना बाकी है, इतना ही पूछा था । पहले यह मालूम हो जाय कि किस मिल पर कितना बाकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने तो बताया कि १ आना टैक्स लगा था । उसमें हाई कोर्ट ने आर्डर यह दिया कि आप सिर्फ तीन पाई वसूल कर सकते हैं, ९ पाई वसूल नहीं कर सकते । तो तीन पाई के हिसाब से वसूल किया गया जो वसूल हो चुका है और ९ पाई के हिसाब से जो बाकी है वह हाई कोर्ट से बन्द है । उसे हम वसूल नहीं कर सकते ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह उत्तर बड़ा भ्रामक है कि तीन पाई वसूल करने की इजाजत हाई कोर्ट देता है तब ६ लाख वसूल होता है और ९ पाई वसूल करने की इजाजत नहीं देता है तो ३ लाख ही रह जाता है, यह हिसाब किस तरह लगाया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं बता दूं, यह भ्रम जो रहा है उसका कारण यह है कि जितना उन्होंने एक दफा मान लिया था वह तो वसूल हो गया है, जितना डिफरेंस रह गया था उसी का रिट पेटीशन उन्होंने किया था । जो एक दफा मान लिया था वह सब वसूल हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—आप यह बतला दीजिये कि जो वसूल नहीं हुआ है । जो वसूल हो गया है उसको न बताइये, क्योंकि वह यही जानना चाहते हैं कि कितना वसूल नहीं हुआ ?

श्री हरगोविद सिंह—एच०जी० मिश्रा ऐंड को०—इन पर बाकी है ३ लाख १२ हजार ५४३ रुपया ४९ न०पै० । अब इसमें उनसे यह कहा गया कि ४ हजार रुपया महीना करके आप अदा कर दीजिये । लेकिन वह उसे कम्प्लाई न कर सके तो वह इंस्टालमेंट का आर्डर हटा लिया गया । (व्यवधान) सेटिलमेंट यह हुआ था चूंकि उनके पास रुपया बहुत ज्यादा बकाया था इसलिये ४,००० रुपया मंथली इंस्टालमेंट में एरियर साफ करने के लिये

उनसे कहा गया। वह नहीं कर सके तो वह आर्डर जो इंस्टालमेंट में अदा करने के लिये दिया गया था वह वापस ले लिया गया। (व्यवधान) फिर कलेक्टर से कहा गया कि इनकी जायदाद कुर्क करा लीजिये। वह जायदाद कुर्क भी हो गई। फिर यह हुक्म दिया गया कि उसे नीलाम कर दीजिये और नीलाम करके रुपया वसूल कर लीजिये। जब नीलामी की कार्यवाही की जाने लगी तो यह मालूम हुआ कि किसी बैंक का उसी जायदाद पर ज्यादा कर्जा है। बैंक के यहां पहले से ही वह जायदाद मार्गेज थी। इसलिये नीलाम से उतना रुपया नहीं मिल सकता था जितना कि हमारा बकाया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—देखिये, आप लोग शांत हो जाइय। मैं प्रश्नोत्तर बन्द कर दूंगा अगर इस तरह से रिमार्क्स आपकी तरफ से होते जायेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—हम तो अध्यक्ष महोदय, साधारण व्यक्ति हैं, हमारी समझ में यह बात नहीं आती। लेकिन जो फाइनेंस के आचार्य हैं, और हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनकी समझ में यह जरूर आया होगा। तो हम लोग जो कम समझते हैं उनकी भाषा में जरा साफ हो जाय कि उनकी वसूली कैसे हुई, कौन कौन गिरफ्तार हुआ, क्या-क्या हुआ? जरा हमारी भी समझ में आ जाय।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न वैसे इतने व्योरे का है कि मैं इसके लिये इजाजत नहीं देता। ऐसे प्रश्नों को बहस के लिये किसी और समय में रख देता हूं। लेकिन...

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, तो इसको भी आधे घंटे की बहस के लिये रख दें आप।

श्री अध्यक्ष—लेकिन पहले आप सूचना ले लीजिये फिर जो करना हो कीजियेगा। तो उसमें जरा हल्ला नहीं होना चाहिये, गलत सही जो कुछ भी सूचना आपको मिलती हो वह ले लीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—दो हजार रुपया महीना उसके बाद से वह दे रहे हैं और ११ हजार रुपया इस तरह से दे चुके हैं। मेसर्स एम०डी०जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड का मामला यह है कि जिन सालों का बाकी था और जितना एडमिटेड था उतना उनसे वसूल हो गया और उन्होंने दे दिया। जितना डिस्प्यूटेड है उसमें सवाल यह है कि उनसे हिसाब मांगा गया है असेसमेंट के लिये। बावजूद कई रिमाइन्डर के उन्होंने अपना हिसाब नहीं दिया। लिहाजा हमारे सेल्स टैक्स कमिश्नर ने एक्स पार्टी असेसमेंट कर दिया। एक्स पार्टी असेसमेंट करने के बाद वह दौड़े आये और उन्होंने आकर यह एडमिट किया कि इतना एसेसमेंट हमारे ऊपर होना चाहिये था। तो उतना रुपया उन्होंने दे दिया। बाकी डिस्प्यूटेड एमाउन्ट अपील में है। जब तक अपील का फैसला न हो जाय तब तक वह वसूल नहीं हो सकता।

नं०५ पर न्यू विक्टोरिया मिल्स का है जो हाई कोर्ट से रुका हुआ है।

नं० ६ पर कानपुर ऊलन मिल्स का है जो हाई कोर्ट से रुका हुआ है।

नं०७ पर म्योर मिल्स कम्पनी का झगड़ा है। उसका झगड़ा यह है कि इसमें दो पार्टनर थे। बागला और पद्मपत। इन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के कारण ऐसी नौबत आई कि यह मिल बन्द हो गया। इसके बाद भूतपूर्व मुख्य मंत्री उसके आर्बीट्रेटर मुकर्रर हुये और उसका अवार्ड देने में काफी देर हुई। उस वक्त जो असेसमेंट किया गया उसके लिये यह समझा गया कि इसको रियलाइज किया जाय। वह मिल चलने लगी थी। दिक्कत यह पैदा हुई कि उस वक्त जितना हमारा सेल्स टैक्स बाकी था अगर उसको रियलाइज किया जाता तो मिल के बन्द होने का खतरा था इसलिये उसको स्टे कर दिया गया।

नं० ८ पर गोविन्द आयल मिल्स, कानपुर ने अपील की है। तो अपील में हमारे जजों ने यह तरीका बना रखा था कि जितना हाई कोर्ट स्वीकार करले उतना अदा हो जाय। वह तो अदा हो गया है और बाकी एमाउन्ट के लिये अपील चल रही है।

नं० ९ पर नन्हूमल ज्योतीप्रसाद (महावीर रोलिंग मिल्स) हैं। उसमें सेल्स टैक्स कमिश्नर ने आधा एमाउन्ट स्टे कर दिया था। उसकी अपील चल रही है और बाकी एमाउन्ट ६ बराबर किस्तों में वसूल हो रहा है महीने के हिसाब से।

नम्बर १० पर रामेश्वरप्रसाद सुन्दरलाल एन्ड कम्पनी, कानपुर के बारे में यह बात है कि यह फर्म सन् १९५९–६० में बन्द हो गई थी। इन्होंने इंस्टालमेंट के लिये दरख्वास्त दी है और जो बाकी रुपया है वह वसूल किया जा रहा है।

प्यारेलाल हजारी लाल, कानपुर का मामला यह है कि इनका २,६८७ रुपये ५० नये पैसे असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टे कर दिया है और जब तक उसका फैसला न हो जाय वह अदा नहीं हो सकता है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि इन ११ मिलों पर जो बाकी है उसी में किसी के ऊपर अभी तक गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया है? यदि हां, तो कितनों पर और नहीं तो क्यों नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—हमारे यहां सेल्स टैक्स की वसूली का कायदा यह है कि वह रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जाता है और इस के लिये वहां की अथारिटीज ने क्या किया इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १२ लाख रुपया हाईकोर्ट ने स्टे भी नहीं किया है और गवर्नमेंट ने भी स्टे नहीं किया है उसे लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल करने की आज्ञा वे जिला अधिकारियों को देंगे?

श्री अध्यक्ष—अब तो १२ लाख का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने हर एक का रीजन बतला दिया है।

कुमायूं डिवीजन में ग्रामीणों को लकड़ी संबंधी हक हकूक देने का आश्वासन

*६५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि समस्त कुमायूं डिवीजन विशेषकर तराई-भावर क्षेत्र में जंगलात विभाग द्वारा ग्रामीणों को पहले से दिये जाने वाले हक हकूकों को कम किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार तज्जनित असंतोष निराकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री—कुमायूं डिवीजन और तराई भावर क्षेत्र में जंगलात विभाग द्वारा ग्रामीणों को पहले से दिये जाने वाले हक हकूकों में कोई कमी नहीं की जा रही है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि तराई भावर और पहाड़ के इलाकों में जो हल पलियाली की लकड़ी काश्तकारों को दी जाती थी, मकान आदि के लिये जो सुविधा थी और घास फूस जो उनको मिलती थी, जो उन्हें मुफ्त लेने की छूट थी, उस सब के लिये अब परमिट सिस्टम जारी कर दिया गया और पुरानी सारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है?

श्री अलगूराय शास्त्री—ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने नहीं है और न ऐसी कोई जानकारी मेरे पास है। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की शिकायत मेरे पास लिख कर भेजेंगे तो उसकी जांच की जायगी। इस सम्बन्ध में निश्चित नीति यह है कि जो कंसेशन्स अथवा सुविधायें उनको पहले थीं और जो हक हकूक उनके थे उनमें किसी प्रकार की कमी करने का इरादा सरकार का नहीं है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है और वह नोटिस में आयेगी तो उसमें जांच करके उचित न्याय किया जायगा और वह असुविधा उनको नहीं होने पायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मन्त्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जो यह कहा गया कि पहले उनको लकड़ी और घास फूस आदि लेने की छूट थी और अब वह परमिट लेने के बाद ही वह सुविधा ले सकते हैं, तो क्या सरकार ने परमिट प्राप्त करने का कोई आदेश निकाला है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसी परमिट देने की कोई बात नहीं की गयी है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पहाड़ के किसान लोगों के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई ऐसी कमेटी बनायी है ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट तैयार हो गयी है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---कुमायूं कमेटी रिपोर्ट तैयार है और सरकार के विचाराधीन है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ७ अक्तूबर को मैंने इस सिलसिले में एक पत्र लिखा था जिसमें उन राइट्स का ज़िक्र था जो अब नहीं दिये जा रहे हैं और पहले थे ? फारेस्ट ग्रीवांसेज कमेटी के अनुसार कुमायूं से आने वालों को मुफ्त लकड़ी मिलनी चाहिये, किसी मकान या काटेज इंडस्ट्री के लिये उनको पटरा मिलेगा। इसके मुताल्लिक माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उनको सारे अधिकार दे दिये गये हैं लेकिन वह हक हकूक उनको नहीं मिल रहे हैं जैसी कि फारेस्ट ग्रीवांसेज कमेटी ने सिफारिश की है इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उससे उठता नहीं है और इसके लिये वे सूचना मांगेंगे। एक चीज समझने की है और वह यह कि जब एक मंत्री के बाद दूसरा मंत्री उस स्थान पर आता है तो पहले वाले मंत्री के सामने आपने जो कुछ कहा होगा वह नये मंत्री की जानकारी में नहीं होता। इसलिये उसके लिये तो आपको नोटिस देना होगा और नोटिस देने पर ही वे उसका जवाब दे सकेंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, सरकार ने माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के एक प्रश्न के उत्तर में जो अभी बताया था कि "समस्त कुमायूं डिवीज़न" तो क्या उसमें उत्तरा खण्ड के जो नये ज़िले हैं वे भी सम्मिलित हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री---मेरा खयाल है, शामिल हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई इस तरह की शिकायत आई है या जो मंत्री जी उनके पहले थे उनके पास आई थी कि अधिकारीगण उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री---मेरी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि जो आदेश सरकार ने दिये हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। कोई सरकार टिक नहीं सकती जिसके आदेशों का पालन उसके कर्मचारी न करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं डिवीज़न में जो आधी क़ीमत पर पेड़ दिये जाते थे और जो सिविल फारेस्ट के होते थे, वह अब बन्द कर दिये गये हैं और जो लकड़ी लेने के हकूक थे वे भी ख़त्म कर दिये गये हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री---मेरी जानकारी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो सुविधायें अब तक मिलती रही हैं, यानी इस बीच में दो तीन महीने में कोई कम कर दी गयी हैं, तो उनको रेस्टोर कर दिया जायेगा और वे सुविधायें मिलती रहेंगी। हमारा कोई इरादा उनमें कमी करने का नहीं है।

*६६---**श्री नारायणदत तिवारी**--- [हटा दिया गया।]

*६७--श्री गोविन्दसिंह विष्ट [८ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को लकड़ी की सप्लाई

*६८-- श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार सहारनपुर की स्टार पेपर मिल को दी जाने वाली लकड़ी की श्रेणी को बदलने जा रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--इकरारनामा जिसके अनुसार स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को एक लम्बी अवधि के लिये पेचदार चीड़ मिलना है, अभी सरकार के विचाराधीन है।

*६९--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि उक्त फैक्टरी को लकड़ी दिये जाने से कुमाऊं में ईंधन व इमारती लकड़ी की कमी हो गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल को जो दो लाख घन फुट लकड़ी दी गयी और जो ७ पैसे फी मन या एक आना घन फुट के हिसाब से दी गयी, वह केवल एक्सपेरीमेन्ट के लिये दी गयी ? और क्या जो लकड़ी उनको दी गयी वह बहुत ज्यादा दी गयी ? यदि हां, तो जो ज्यादा लकड़ी दी गयी उस पर क्या भाव से दाम चार्ज किये गये ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--यह सही नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--सही क्या है, यही बताने की कृपा करें माननीय मंत्री जी।

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, दो लाख घनफुट लकड़ी दी जा चुकी है और इसको माननीय वन मन्त्री इस सदन में स्वीकार भी कर चुके हैं। मगर आज माननीय न्याय मंत्री उठ कर कहते हैं कि यह सही नहीं है, तो क्या वह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि यह सही नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह बात सही नहीं है, यह मैं कहता हूं।

श्री बालकराम--श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक प्रश्न के उत्तर के बीच में माननीय न्याय मंत्री जी ने यह कहा कि यह सही नहीं है, जब दूसरा प्रश्न यह पूछा गया कि सही क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसके लिये सूचना की ज़रूरत है, तो जब उनके पास कोई सूचना है ही नहीं तो किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि यह गलत है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--श्रीमन्, यह पेपर मिल के साथ कोई इकरारनामा हुआ और उसको एक आना पर क्यूबिक फुट के हिसाब से चीड़ की लकड़ी देने का निश्चय हुआ था ये बातें १९५६-५७ में हुई और एक साल के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर लकड़ी उनको दी गयी। उसके बाद जो इकरारनामा बाद में होने वाला है उसकी शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं और वह सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १९५६ या १९५७ की बात कही है और ४ पैसा क्यूबिक फुट या ७ पैसा मन के हिसाब से लकड़ी दी गयी थी तो कितनी लकड़ी ले गये थे स्टार पेपर मिल वाले ?

श्री अलगूराय शास्त्री--लगभग दो लाख क्यूबिक फीट।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी सूचना है कि स्टार मिल, सहारनपुर को जो उस शर्त नामे के अनुसार लकड़ी दी गयी थी उसका इस्तेमाल मिल में न कर के उन लोगों ने ब्लेक में बेच ली ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इसका कोई ज्ञान हमको नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में एक कांट्रैडिक्शन की परिस्थिति पैदा हो गयी है। उपनेता सदन ने कहा कि यह बिलकुल ग़लत है, ऐसा नहीं हुआ और उसी को वन मंत्री ने स्वीकार किया। एक सीट पर बैठ कर दो मंत्री एक ही बात को दो तरह से कहें, एक उसको डिनाई करे. .....

श्री अध्यक्ष---यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। पहले तो आप उनसे स्पष्टीकरण लें कि उन उत्तरों में अन्तर भी है या नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, हम किससे पूछें? पूछा किसी से जाता है, उत्तर कोई देता है। (श्री अलगूराय शास्त्री की ओर इंगित करके) क्या इनसे पूंछू?

श्री अध्यक्ष---आप इनसे ही पूछिये। और यह पूछिये कि आपने यह उत्तर दिया और उन्होंने वह उत्तर दिया, उसमें कौन सही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अभी इस आदरणीय सदन में माननीय न्याय मंत्री ने आज खुद उठ कर के प्रश्न का उत्तर दिया कि २ लाख फीट लकड़ी मिल को नहीं दी थी ७ पैसे मन से और. . .

श्री अध्यक्ष---आप का प्रश्न यह नहीं था, आप गलत कह रहे हैं। आप ने यह पूछा था कि इतनी तादाद में लकड़ी लेने के लिये उनसे कहा गया था, उससे ज्यादा लकड़ी वे ले गये। उन्होंने उत्तर दिया कि यह बात गलत है। यह आप ने उनसे अभी कमिट नहीं कराया कि कितनी लकड़ी ले गये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, यहां मोनोलोग में जवाब दिया जाता है, यह हमारा दुर्भाग्य है। केन्द्र में अगर इस प्रकार से मोनोलोग में जवाब दिया जाय तो चेयर से भी मिनिस्टर पर फटकार पड़ती है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप यह गलत कहते हैं। वहां भी इस तरह के जवाब दिये जाते हैं और जितना मालूम होता है उतना ही जवाब दिया जा सकता है।

आप कृपया बैठें, पहले सुन लें।

आपने चार्ज किया कि अमुक ठेकेदार ने जितनी लकड़ी उसको लेनी थी उससे ज्यादा ली। अगर किसी पुराने मंत्री को मालूम है कि यह बात गलत है---ज्यादा लेने की बात---तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि वह गलत है। उनको मालूम था कि ज्यादा नहीं ले गये इस कारण उसका उन्होंने उत्तर दे दिया। तो आप सवाल से यह स्पष्ट करायें कि कितने का ठेका था और उससे ज्यादा ले गये या नहीं, जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता कि कोई स्पष्टीकरण हुआ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि १९५९ तक २ लाख घन फीट स्टार पेपर मिल लकड़ी ले जा चुकी थी और उसके बाद अब तक बराबर लिये जा रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री---उसका मुझे ज्ञान नहीं है कि वह अब भी बराबर ले जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस बात को सूचना मान कर कि मैंने खुद अभी सात आठ दिन पहले तक स्टार पेपर मिल की गाड़ियों को चलते हुये देखा है जब कि इकरारनामा अभी तक नहीं हुआ है, क्या सरकार उस सारी कार्यवाही को रुकवायेगी जो स्टार पेपर मिल की ओर से लकड़ी ले जाने की हो रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री---यदि माननीय सदस्य की यह जानकारी है तो इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री राजनारायण---क्या माननीय उपनेता सदन इसको स्पष्ट करेंगे कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि दो लाख घन फीट लकड़ी स्टार पेपर मिल नहीं ले गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्योंकि मैं क्यास करता हूं कि कोई भलामानुस चोरी नहीं करेगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, संसदीय परम्परा के अनुसार आपने कई बार यहां कहा है कि मंत्री लोगों को तैयार हो कर आना चाहिये और निश्चित उत्तर देना चाहिये। इसलिये मेरा यह आरोप है उपनेता सदन पर कि जानबूझ कर वह सदन से सच को छिपा रहे हैं क्योंकि भूतपूर्व मन्त्री इस सदन में इस बारे में विवरण दे चुके हैं और उस समय साफ हो गया था कि दो लाख घन फीट लकड़ी वह पेपर मिल ले गई।

श्री अध्यक्ष---अभी मंत्री जी ने जो कहा कि क्यास के बिना पर उत्तर दिया, इसको मैं अनुचित समझता हूं। मैं समझता था कि याददाश्त की बिना पर वह उत्तर दे रहे हैं। क्यास की बिना पर उत्तर देना अनुचित जरूर है। इस समय माननीय सदस्य बहुत सीरियस चार्जेज लगा रहे हैं और पिछले वित्त तथा वन मन्त्री के जमाने में भी इस सिलसिले में लगाये गये थे। अब इस समय मैं इस प्रश्न पर अधिक पूरक प्रश्नों को रोक देता हूं। चूंकि इसमें गलतफहमी पैदा हो गई है इसलिये मैं उचित समझता हूं कि माननीय वन मन्त्री जी इस मामले की जांच कराकर कुछ दिन बाद एक स्टेटमेंट सदन में दे दें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में इस बात की भी जांच हो जाय कि स्टार पेपर मिल को जो लकड़ी दी जा रही है उसका पेपर भी बन रहा है या नहीं और मशीनें वगैरह भी आ गई हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री---मैं माननीय सदस्यों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में पूरी जांच होगी और पूरा विवरण सदन के सामने अविलम्ब पेश किया जायगा।

घाघरा नदी पर दोहरीघाट के पुल की निर्माण योजना

*७०---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी पर बनने वाले पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह---पुल निर्माण का आगणन केन्द्रीय सरकार को उनकी स्वीकृति के लिये भेजा गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आगणन कब भेजा गया केन्द्रीय सरकार के पास और कितने रुपये का है ?

श्री धर्मसिंह---यह १५ जुलाई, १९६० को केन्द्रीय सरकार को भेजा गया। इसमें दो एस्टीमेट्स थे, एक था १११.४ लाख रुपये का और दूसरा था १२६.५० लाख रुपये का।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बतायेगी कि इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं जब कि दो वर्षों से लगातार इसकी लिखा-पढ़ी चल रही है फिर भी आगणन स्वीकार नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह---जैसा मैंने निवेदन किया केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। इसमें लिखा-पढ़ी में टाइम लगा, एक बार उन्होंने कुछ कहा फिर दूसरा प्रपोजल भेजा गया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि थोड़ा टाइम कितना लगा ?

श्री धर्मसिंह---१९५६ से इसकी कार्यवाही चल रही है और इस समय भी केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह दोहरीघाट का घाघरा का पुल जो है वह दूसरी योजना में बनने वाला था ? यदि हां, तो इसमें इतने विलम्ब से क्यों कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मसिंह---भारतीय सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही थी। इसमें रुपये के एलाटमेंट का सवाल होता है और टेक्निकल रिपोर्ट इत्यादि बहुत सी बातें हैं जो अब भी भारतीय सरकार को भेजी गई हैं। अगर उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई तो बनने में विलम्ब नहीं होगा।

श्री झारखण्डेराय---क्या यह नीति तय हो गई है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर इस पुल के निर्माण का कम से कम शुभारम्भ हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

धौकलगंज, अनेही बाजार तथा पिंडरा बाजार को बिजली की आवश्यकता

*७१---**श्री ऊदल**---क्या सरकार धौकलगंज (दांदूपुर) बाजार परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी में दांदूपुर ट्यूबवेल से बिजली देने जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

*७२---क्या सरकार अनेही बाजार में तथा पिंडरा बाजार तहसील व जिला वाराणसी में भी बिजली देने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार के पास इस तरह की कोई योजना इस समय नहीं है।

बेतवा नदी के वराटा घाट पर यातायात की असुविधा

*७३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि गरौठा तहसील की जनता को जिले के सदर मुकाम झांसी व सदर मुकाम से उक्त तहसील में जाने वाले सरकारी अधिकारियों को बेतवा नदी के वराटा घाट पर बरसात में हवा चलने पर किसी भी समय विशेषकर गर्मियों में नाव में न चल सकने के परिणाम स्वरूप यातायात बन्द हो जाने पर असुविधा होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सम्भव है होती हो।

*७४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार वहां की जनता व अधिकारियों की सुविधा के लिये उक्त घाट पर पुल और जब तक पुल न बन जाय उस वक्त तक उस पर पौन्टून ब्रिज बनवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्दभानु गुप्त---तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्भव न होगा।

*७५---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)---[८ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

हल्द्वानी को बाढ़ से बचाने की योजना

*७६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी शहर को बाढ़ से बचाने के लिये जो योजना रुड़की के रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच के लिये भजी गयी थी, उसे कार्यान्वित किये जाने हेतु क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कोई नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न ७० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जवाहरलाल नेहरु के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष––श्री राजनारायण जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने की इजाजत के लिये मेरे पास भेजा है। मैं इस सम्बन्ध में पहले भी एक फैसला दे चुका हूं कि किसी पार्टी के अन्दर जो अनुशासन की कार्यवाही किसी कार्य के लिये होती है वह विशेषाधिकार की अवहेलना का विषय नहीं हो सकता।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)––अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है। आप रूलिंग दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष––मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। आप कृपा करके बैठें। यह बिलकुल पार्टी के अन्तरंग अनुशासन का मामला है। उसमें कोई अनुशासन की कार्यवाही हो या कोई भाषण दे या अखबार में कोई चीज छपे, तो उसकी वजह से सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता है। इसी तरह का प्रश्न इन्दिरा गांधी जी के स्टेटमेंट के बारे में उठाया गया था। अब श्री नेहरू जी के कहीं के भाषण पर प्रश्न उठाया गया है। मैं इसके उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। पार्टी सिस्टम में यह चीज होती ही है।

श्री गौरीशंकर राय––इसमें एक व्यवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष––मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

[* * *]

भारत-तिब्बत सीमा पर चेक पोस्ट के स्थानान्तरण से गंभीर परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष––श्री प्रतापसिंह ने जो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है, मैं उसको पढ़े देता हूं :––

> "भारत तिब्बत सीमा पर सरकार द्वारा निर्धारित चेकपोस्ट जो कालापानी की सीमा से ६ मील पर था उसको बन्द कर ग्राम बूंदी जो कि सीमा से ३० मील दूरी पर है वहां रखा गया है। जिससे भारत तिब्बत के अन्तिम ग्राम गरब्यांग जहां आज भी ३६ परिवार रह रहे हैं और जहां से चीन और नैपाल का रास्ता है उनके असुरक्षा से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चेक पोस्ट प्रदेशीय सरकार के देखरेख में है।"

मैंने श्री प्रतापसिंह जी से इस प्रश्न की इजाजत देने से पूर्व यह बात पूछ ली थी कि इसका ताल्लुक केन्द्रीय सरकार से है या प्रदेशीय सरकार से। श्री प्रतापसिंह जी कहते हैं कि इस चेक पोस्ट के कार्य का इन्तजाम प्रदेशीय सरकार के पास है और उन्हीं की जिम्मेदारी पर चेकपोस्ट मुकर्रिर होते हैं। यदि यह बात सही है तो माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर दें और यदि प्रदेशीय सरकार के हाथ ही में नहीं है तो उनके ऐसी सूचना देने पर मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं दूंगा।

†**मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**––अध्यक्ष महोदय, चेक पोस्ट के द्वारा जो कार्य होता है वह तो इस प्रकार का होता है कि जो लोग तिब्बत से आते हैं उनका रेंजिस्ट्रेशन किया जाता है।

नोट––[***] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--क्या वह आपके जुरिस्डिक्शन में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारे हाथ में तो नहीं है। वे तो केन्द्रीय सरकार द्वारा जो व्यक्ति वहां का कार्य करने के लिये नियुक्त होते हैं उन्हीं की मातहती में कार्य करते हैं। जो तिजारती इधर से जाते हैं या उधर से आते हैं उनका रेजिस्ट्रेशन आदि करते हैं अप्रैल से अक्तूबर तक। आउटपोस्ट का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के डिफेन्स विभाग से है। हमारे जो आदमी वहां काम करते हैं वे सब केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के तहत करते हैं। इसलिये यह जो सुरक्षा का प्रश्न उठाया गया है उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से इसका सम्बन्ध है जो सुरक्षा के कार्य के लिये वहां रखे जाते हैं। यह उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि वे वहां और किस समय किस व्यक्ति को सुरक्षा के कार्य के लिये रखते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है इसलिये मेरी यह आपत्ति है कि यह प्रश्न इस सदन में नहीं उठाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष---मैं पहले एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह चैक पोस्ट पहले कालापानी में था जो अब ग्राम बूंदी में किया गया है ? और क्या यह प्रदेशीय सरकार की आज्ञा से हुआ था या केन्द्रीय सरकार के डाइरेक्शन से हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की आज्ञा से एक जगह से दूसरी जगह रखे गये थे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं कि आप ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की आज्ञा प्रदान की है, लेकिन मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी पर अफसोस तो नहीं दुख अवश्य होता है कि वहां पर मुरादाबाद में जो हेडक्वार्टर है और वहां से उनका पं स्टिंग होता है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां कहते हैं कि उन चेक पोस्टस में केवल रजिस्ट्रेशन का काम होता है। यू० पी० सरकार की आज्ञा से अगर आप इजाजत दें मुझे तो.....

श्री अध्यक्ष---आप पहले अपनी जानकारी बतायें, आप कहते हैं कि वह कालापानी से हटाकर बूंदी रखा गया है, तो वह वहां से हटाने का अधिकार प्रादेशिक सरकार को है या केन्द्रीय सरकार को ?

श्री प्रतापसिंह---कालापानी से बूंदी हटाने का अधिकार यू० पी० सरकार को है, कहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट करती है, मैं वहां गर्भयांग तक १६५ मील पैदल गया और जाकर देखा, क्या यहां के मंत्री और उपमंत्री नहीं जा सकते हैं, दुख है कि सरकार को आजतक वहां की सूचना तक नहीं है। यह वहां की और देश की सुरक्षा का प्रश्न है। वहां ३६ परिवारों को मुसीबत उठानी पड़ रही है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने एक उपेक्षापूर्ण नीति से कह दिया कि केन्द्रीय सरकार करती है अभी नई-नई यह सरकार बनी है, अच्छा होता कि चीफ सेक्रेटरी से.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस में सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप माननीय मुख्य मंत्री के पास अपनी पूरी बातचीत भेज दें कि आप की वहां के किसी आफिसर से क्या बात हुई और उसने यह कहा था कि प्रादेशिक सरकार ने हमें हुक्म दिया है। फिर उस सब की वह जांच करा लेंगे, मैं इस प्रश्न को कल फिर ले लूंगा और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी आपके कथन की जांच कर के कल जवाब दे देंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, मुझे इस म कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने तो जानकारी प्राप्त कर के ही यह उत्तर दिया था और जिम्मेदारी के साथ ही मैं ने कहा था कि वहां चेक-पोस्ट्स अप्रैल से अक्तूबर तब जब रास्ता खुला होता है और वहां बर्फ वगैरा नहीं होती, उस समय सरकारी अधिकारी पी० ए० सी० के कार्य करते हैं, लेकिन वह हमारी पी० ए० सी०

वहां केन्द्रीय सरकार के डिफेंस विभाग के अन्डर में काम करती है। केन्द्रीय सरकार ही उन को आदेश और आज्ञायें देती है और उन के द्वारा उन्हीं की आज्ञाओं के तहत में कार्य होता है। क्योंकि उस का डिफेंस से सम्बन्ध है इसलिये केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक सरकार को उनका खर्च देती है। हमारी पी० ए० सी० और प्रदेशों में भी जाती है, तो उसका व्यय केन्द्रीय सरकार या दूसरी प्रादेशिक सरकारें जहां वह काम करती है, देती हैं। हमारी पी० ए० सी० वहां काम अवश्य करती है, लेकिन वह वहां केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में, उस की आज्ञाओं के अनुसार, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है कार्य करती है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, स्वदेशी काटन मिल के वाच एन्ड वार्ड के मजदूरों की हड़ताल के विषय में दफा ५२ में मैंने भी एक प्रश्न आप के पास भेजा था। वहां से तार भी आया है, तमाम सिपाही ओस और सर्दी में मिल के फाटक पर पड़े हैं, विभाग की मंत्राणी जो भी इस समय यहां हैं वह कृपा करके बता दें.....

श्री अध्यक्ष--मैं एक ही प्रश्न ले सकता हूं और मैंने श्री प्रतापसिंह का ले लिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उन को अगर जानकारी हो तो वह बता दें।

श्री अध्यक्ष--जब मैं एडमिट कर लूं तभी तो कुछ हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इतनी सूचना और दे दें कि क्या यह सही है कि कालापानी से लीपूलेक तक तो मोटर मार्ग बन गया है और उस के आगे अभी नहीं बना है ?

श्री अध्यक्ष--आप जो कुछ लिखना चाहें, मुख्य मंत्री को लिखें। यह चीज मेरे जरिये से मत कहिये।

श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि मैंने धारा ५२ के अन्दर एक सवाल दिया था कि शाहजहांपुर में जो पुल सरकार ने बनाया है उस पर जबरदस्त टैक्स वसूल किया जा रहा है। जनता मरी जा रही है.....

श्री अध्यक्ष--सवाल तो सब हो चुके.....

श्री रूर्मासिंह--बीचोबीच शहर में पुल है। मंत्री जी को मालूम ही नहीं कि उस पर टैक्स वसूल किया जा रहा है या नहीं। तो इसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल को कृपया जरूर ले लीजिये ....

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, एक जानकारी लेनी है। आपने दफा ५२ के अन्तर्गत म समझता हूं, शायद अभी उस विषय को लिया नहीं है। आपने केवल जानकारी हासिल की कि यह प्रान्त से संबंधित है या केन्द्र से और.....

श्री अध्यक्ष--मैंने तो यह समझ कर किया कि यह प्रान्तीय सरकार के अधिकार में है।

श्री राजनारायण--तो उसको एडमिट किया हुआ माना जाय ?

श्री अध्यक्ष--वह तो हुआ ही ।

श्री राजनारायण--मैंने समझा कि वह न माना गया हो तो हमारा रानी एलिजाबेथ वाला ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--अभी भी कल वह प्रश्न भेजेंगे उनके पास और अगर यह सिद्ध हो जायगा कि प्रदेशीय सरकार की जिम्मदारी है तो उनको वक्तव्य देना होगा ।

स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष--स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये जो नामजदगियां हुई हैं, मैं उनकी सूचना दे देना चाहता हूं । स्टेट हेल्थ बोर्ड के लिये जो नामजदगियां हुई हैं वह इस प्रकार हैं:--

(१) श्री रामसमझावन (जौनपुर), (२) श्री चिरंजीलाल (एटा), (३) रामकृष्ण जैसवार (मिर्जापुर), (४) ड० श्रीनाथ भार्गव (मथुरा), (५) श्री नन्दराम (प्रतापगढ़), (६) श्री मुबारक अली खां (बदायूं), (७) श्री रामलक्षण तिवारी (बलिया), तो ये ७ नामजदगियां हुई हैं और एक ही सदस्य चुना जाना है । अगर १६ तारीख तक अतिरिक्त नाम वापस न हुये तो २२ तारीख को चुनाव होगा ।

हरकोर्ट बटलर टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये जो नामजदगियां हुई हैं वह इस प्रकार हैं:--

(१) श्री चिरंजी लाल (एटा), (२) श्री एस० जी० दत्त (कानपुर), (३) श्री मोतीलाल अवस्थी (कानपुर), (४) श्री रामलक्षण तिवारी (बलिया) ।

इसमें भी एक सदस्य चुना जाना है । अगर १६ तारीख तक अतिरिक्त नाम वापस नहीं होते तो इसका भी चुनाव २२ तारीख को होगा ।

सदन में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं पार्टियों के सदस्यों की संख्या के बारे में थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न कई दफा उठाया गया और उसकी स्पष्ट परिस्थिति मालूम नहीं होती थी । जो परिस्थिति आज है पार्टियों के सम्बन्ध में वह यह है :--

कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या	३०२
पी० एस० पी०	४६
सोशलिस्ट पार्टी	२१
भारतीय जनसंघ	१४
कम्युनिस्ट पार्टी	११

स्वतंत्र पार्टी जो बनी उसकी पहले संख्या थी २२, लेकिन अब २० रह गई है । स्वतंत्र लोगों की संख्या है १६, और रिक्त स्थान है १ ।

इसमें मैं समझता हूं कि पी० एस० पी० के बाद सोशलिस्ट पार्टी का ही नम्बर है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, अब हम पहले नम्बर पर आने ही वाले हैं । वह रानीखेत में आदर्श प्रस्तुत किया है.....

श्री अध्यक्ष--यह स्नेल्स प्रोग्रेस से नहीं हो सकता है । आपके भी चार-पांच सदस्य घट गये हैं ।

वर्षा एवं उपलवृष्टि से हुई हानि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, ६ तारीख को जब सदन का शुभारम्भ हुआ तो मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था, और लोगों ने भी शायद दिया था जो फरवरी क शुरू में वर्षा और उपलवृष्टि से प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी अंचलों में नुकसान हुआ है उसके संबंध में। उस पर माननीय माल मंत्री जी ने वायदा किया था कि वे एक विस्तृत वक्तव्य देंगे। आज ९ दिन हो गये। वह समय कब आयेगा ? सम्भव है कुछ लोग इस पर बोलना भी चाहें। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह दिन कब दिया गया या वक्तय कब आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्री, ओला-वृष्टि के कारण हुई हानि के सम्बन्ध में आप वक्तव्य कब देने वाले हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---परसों दूंगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है तो परसों आ जायगा।

फीरोजाबाद कांड पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---पिछले सत्र में ६ अक्तूबर को दफा ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न हमारा फीरोजाबाद बम कांड के सम्बन्ध में मंजूर हुआ था। उसके बाद ९ तारीख को फिर जानकारी चाही थी ....

श्री अध्यक्ष---१६ तारीख के लिये उनको कह दिया है और आपको भी पत्र भेज दिया था, शायद आपके पास पहुंचा नहीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---मेरे पास पत्र अभी नहीं पहुंचा।

स्वतंत्र सदस्यों के बैठने का स्थान निश्चित करने की प्रार्थना

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---इस सदन में मान्यवर, १६ जो इंडिपेंडेंट सदस्य हैं जो किसी भी पार्टी से सम्बन्ध नहीं हैं उनके लिये कम से कम बैठने का कोई प्रबन्ध हो जाना चाहिये ताकि हम लोग भी समझ सकें कि सदन में किधर बैठना है।

श्री अध्यक्ष---उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता ज्यादा दे दूंगा बैठने की। मतलब यह है कि इधर भी बैठ सकेंगे और उधर भी बैठ सकेंगे, यानी मेरे दायें बायें दोनों ओर बैठ सकेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मंत्री तो बदल कर पीछे आ गये यह नेता कब बदलेंगे, यह क्यों नहीं पीछे बैठते ?

श्री अध्यक्ष---जो स्वतंत्र हैं उनमें यदि आप हैं तो आपको आगे बैठा दूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं ही तो पक्का कांग्रेसी हूं जिसने अंग्रेजों को निकाला था और यह सब नकली हैं मेरे सामने। (हंसी)

१९६०-६१ के द्वितीय पूरक अनुदान

श्री अध्यक्ष---अब माननीय वित्त मंत्री १९६०-६१ का द्वितीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के द्वितीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

निरनुमोदन के संकल्पों पर विवाद की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष--अब यह नि नुमोदन वाले प्रस्ताव हैं। तो इसमें अगर आप उचित समझें, क्योंकि समय १ बजे तक ही है, अंतरिम जिला परिषद् के बारे में अभी जिक्र हुआ था, वह विधेयक भी आप जल्दी पारित कराना चाहते हैं, १ ही दिन में क्योंकि शायद माननीय राज-नारायण जी ने ऐसा कहा था, तो अगर सदन की इच्छा हो इसका पहले ले लें तो रास्ता खुल जाय। अन्तरिम जिला परिषद् के बारे में मैं पूछ लूं।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, अंतरिम जिला परिषद् के मंत्री विधान परिषद् में हैं अतः प्रोग्राम के अनुसार वह नहीं आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी जी से कह देना चाहता हूं कि चूंकि सदन में अध्यादेशों के आधार पर विधेयक भी सामने आ रहे हैं तो इन सब के नि रनुमोदन वाले जितने प्रस्ताव हैं उनके ऊपर बहुत संक्षेप में बहस होगी। नहीं तो काम दूना हो जायगा। अगर इनके विधेयक सदन में न आने वाले होते तो यह हो सकता था कि जो डेढ़ महीने में खत्म होने वाले हैं उस पर १५ रोज बहस होकर खत्म करना उचित होगा। निरनुमोदन प्रस्ताव का उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि जो डेढ़ महीने के अन्दर समाप्त होने वाला होता है, निरनुमोदन अध्यादेश अगर कर दें तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, लेकिन जब सदन के सामने विधेयक आ रहे हैं तो सदन का समय बचाने के लिये मैं इतना कह देना चाहता हूं कि भाषण संक्षेप में हों और १,२ व्यक्ति ही जिन सिद्धांतों के ऊपर इसका विरोध करना है, निरनुमोदन करना है वही बोलें। और एक ही सिद्धांत के ऊपर यह ७ निरनुमोदन के प्रस्ताव हैं तो कार्य बांट लें कि ए में एक सदस्य बोले, दूसरे में दूसरा बोले। अगर ऐसा हो जाय तो मैं समझता हूं थोड़े समय में यह सब समाप्त हो सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निरनुमोदन का जो प्रिंसिपल है, सरकार एक ऐक्सट्रा आर्डिनरी पावर अपने हाथ में लेती है और ऐसी परिस्थितियों में इनमें कुछ कहने की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। पहले सदन बैठा हुआ था फिर यकायक स्थगित हो गया। अगर ये सब बिल लाये गये होते तो ये (Ordinances) आते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--हर एक में मौका दिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--सरकार ने Extraordinary ताकत ली है। न Ordinances लाती न इसमें बहस करने की जरूरत पड़ती। बिल लाती तो सीधी बात होती। स कार जब बहुत बड़ी ताकत लेती है जो किसी ने नहीं ली तो उसके ऊपर अलग-अलग हर एक पर बहस करने का मौका भी होना चाहिये ताकि हम आदरणीय सदन को अपनी बात समझा सकें।

श्री अध्यक्ष--मैंने बतला दिया जो मैं करने वाला हूं।

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टेरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। यह जो अध्यादेश है इसे प्रस्तुत करने के जो कारण सरकार ने बताये हैं व्याख्यात्मक ज्ञापन में उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा पास हुआ था। कछ संवैधानिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपत्तियों के कारण यह आवश्यक समझा गया कि इससे संबंधित विषयों के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करने के लिये हमारी विधान सभा में भी इसी प्रकार का अधिनियम उपस्थित किया जाता किन्तु यह अधिनियम हमारे सामने समयानसार नहीं आया और आर्डिनेन्स जारी किया। उस अध्यादेश को जारी करने का जो कारण बतलाया गया है उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का यह कार्य एक प्रकार से अनुचित सा रहा है। इस अनुचित काय के करने के लिये सरकार ने जो कारण बतलाये हैं वे हमें किसी प्रकार से ग्राह्य नहीं है। यह बतलाया गया कि १५ अक्तूबर, ६० को भारत सरकार ने इवैकई इंटरेस्ट (अमेंडमेंट) ऐक्ट पारित किया था और उसी तारीख को लागू करने की बात की थी। १५ अक्तूबर को लागू होने के कारण भारत सरकार यह समझती थी कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की तरफ से यह विधान बनाने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाय और इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार से उसकी लिखा पढ़ी भी हुई। उस समय हमारी विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था और आशा की जा रही थी कि उसी समय इस सम्बन्ध का कानून हमारे सामने आ जायगा, लेकिन हुआ यह कि ७ तारीख को यह विधान सभा एक अनिश्चित रूप से स्थगित कर दी गयी और यह आशा की गयी कि बहुत जल्दी विधान सभा की बैठक हो सकेगी। सरकार ने जो बहुत से कार्य इस दर्मियान किये हैं उनमें कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आर्षित करना चाहता हूं।

एक विशेष बात जो दिखलाई पड़ती है वह यह कि सरकार ने १५ अक्तूबर को ही पिछले सेशन को सत्रावसान कर दिया। मैं नहीं समझ पाया कि इस तरह सत्रावसान करने की आवश्यकता उस समय सरकार को क्यों दिखलाई पड़ी जबकि उसके सामने कुछ ऐसे आवश्यक विधि बनाने के कार्य उपास्थत थे। आप देखें कि १५ अक्तूबर को सत्रावसान करने की विज्ञप्ति निकलती है और फिर इसके बाद दूसरे अधिवेशन को बुलाये जाने के लिये विज्ञप्तियां जारी होती हैं और यह आश्वासन दिया गया कि दिसम्बर मास में किसी तारीख को अधिवेशन बुलाया जा सकेगा। ये सभी कार्य हमारे सामने हुये हैं और इनकी जानकारी हमको है। फिर भी वह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया और दोबारा ६ फरवरी को बुलाया गया। जिस रूप में यह अध्यादेश हमारे सामने आया है इसे हम हर प्रकार से अनुचित और सरकार का एक बेजा कार्य समझते हैं मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० का कुछ थोड़ा-सा हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ में पास हुआ था जिसके एक, दो खंडों में सरकार अब कुछ संशोधन करना चाहती है। दफा ६ के उपभाग २ में सरकार चाहती है कि जो शब्द पहले लिखे हुये थे ....

श्री अध्यक्ष--खंडो पर न जाइये आप।

श्री मोतीलाल अवस्थी--हवाला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--उसकी मैरिट्स के ऊपर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका विधेयक तो आयेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं सिर्फ हवाला दूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप सिर्फ यह बताइये कि किस सिद्धांत के ऊपर आप इसका अननुमोदन करते हैं, इसके कारण बताइये। बिल तो वे ला ही रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं वर्बेटिम उसको पढ़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष--हर एक आदमी अगर खंडों की मैरिट्स में जाने लगे तो फिर केवल अननुमोदन का सवाल नहीं रहा। फिर तो खंडों पर अमेंडमेंट्स होने चाहिये। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि जो अध्यादेश लाया गया है इसकी मंशा केवल यह थी कि सन् १९५१ के ऐक्ट की दफा ६ के उपखंड २ में कुछ संशोधन सरकार लाना चाहती थी और एक बहुत छोटा संशोधन था जिसकी आवश्यकता पड़ गयी थी। हमारे सामने जो विधेयक सरकार ने मेज पर रखा था और जिसके पारित करने में मैं समझता हूं बहुत थोड़ा ही समय लगता वह ६ अक्तूबर को आसानी से पास हो सकता था और ७ अक्तूबर को अचानक सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गयी थी। ऐसी हालत में सरकार ने अपने कार्य में ढीलापन किया और उसका नतीजा यह निकला कि एक अध्यादेश जारी किया गया और वह अध्यादेश भी ऐसी परिस्थिति में जारी किया गया जो बिलकुल अवांछनीय है। सरकार बहुत जल्दी ही दूसरा अधिवेशन बुला सकती थी और सत्रावसान करने की आवश्यकता सरकार को महसूस न होती। इसके अलावा भी सरकार ने अधिवेशन बुलाने की जो तारीख मुकर्रर की उसको भी बदला। फिर जो अधिवेशन पहले चल रहा था उसको अपने घरेलू झगड़ों के कारण एकदम से स्थगित कर दिया। पिछले अधिवेशन में हमें एक कार्यक्रम बतलाया गया था जो काफी लम्बा चलने वाला था, लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया कि ऐसी आवश्यक विधि जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित है और जिसमें प्रान्तीय सरकार का बहुत थोड़े से अंश से सम्बन्ध है यह सदन स्वीकार कर सके। तो सरकार ने उसमें भी ढिलाई की और अधिवेशन जल्दी बुलाने में भी ढीलाई की। लिहाजा ऐसे अनुचित कार्यों का हम अननुमोदन करना चाहते हैं क्योंकि सरकार को यह समझना चाहिये कि चाहे उनके घरेलू झगड़ों में कोई बात आ जाय, लेकिन अधिवेशनों के बुलाने में उन्हें इस तरह से मनमानी नहीं करनी चाहिये कि चार-चार महीने तक बैठक न बुलायें। इन सब बातों को देखते हुये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय और हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री मोतीलाल जी अवस्थी की बात समझने की कोशिश की और मैंने उनकी सारी तकरीर भी बड़े गौर से सुनी, लेकिन किस बात से उनको तकलीफ हुई इस अध्यादेश से, यह कम से कम मेरी समझ में नहीं आया। यह अध्यादेश इतना सीधा सादा है, जैसा कि हमारे मित्र ने खुद ही बताया है कि इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) विधेयक, १९५१ में केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किया गया और कांस्टीट्यूशन की दिक्कत की वजह से जरूरी समझा गया कि वही कानून यहां भी पास कर दिया जाय। लिहाजा १९५३ में उसी कानून को हमने भी एडाप्ट कर लिया है। अब केन्द्रीय सरकार ने जरूरत समझी कि इस कानून में कुछ तरमीमें कर दी जायं और उसको केन्द्रीय सरकार ने अमेंडिंग बिल लाकर तरमीम किया।

अब श्रीमन्, यह प्रश्न हमारे सामने भी आया कि हम भी इसको एडाप्ट करें जैसे कि पहले कर चुके हैं और केन्द्रीय सरकार ने उसको १५ अक्तूबर से लागू कर दिया और यह भी राज्य सरकारों को मश्विरा दिया कि आपके यहां भी उसी तारीख से लागू हो जाना चाहिये था। कारणवश उस समय हमारे सदन का सत्रावसान हो चुका था और हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम इस कानून को बकायदा पास करके लागू कर दें १५ अक्तूबर से। लिहाजा हमारे सामने एक ही रास्ता था कि अध्यादेश के जरिये लागू करें। इसीलिये यह अध्यादेश निकाला गया है जो गवर्नर महोदय के अधिकार में है, उनके हुक्म से निकाला गया और वह यहां पर मौजूद है और उसके बजाय हम एक विधेयक भी जल्द सदन में लाने वाले हैं ताकि बकायदा कानून बना करके गवर्नमेंट आफ इंडिया से कानून जो बना है उसको हम भी एडाप्ट कर लें और इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाय। लिहाजा अध्यादेश निकालने में कोई त्रुटि या गड़बड़ी नहीं की और न हमारी ऐसी कोई इच्छा ही थी। यह सीधा सादा कानून था। जो विधेयक हम लायेंगे वह तो निर्विवाद पास होगा और अवस्थी जी भी कुछ नहीं कहेंगे। इनमें किसी के सत्वों के हनन करने का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का कानून जिस तारीख से लागू हुआ उसी तारीख से हमने इसको एडाप्टेड समझा। इसीलिये अध्यादेश निकालने के सिवाय और कोई चारा हमारे पास नहीं था। इसलिये हमें ऐसा करना पड़ा। मुझे अध्यादेश निकालने का कोई शौक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी––अध्यक्ष महोदय, मैं उपनेता जी के उन शब्दों को फिर प्रस्तुत कर दूं। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं सका। जब वह चाहते हों समझना और समझने की कोशिश की जाय तब तो कोई चीज समझ में आ सकती है, लेकिन जब किसी की इच्छा ही समझने की न हो तो कितनी ही अच्छी चीज क्यों न हो नहीं समझी जा सकती। इसमें लिखा हुआ है कि यह अधिनियम ६ तारीख को पुरःस्थापित किया गया है और मैं उपनेता सदन की बात को मान लेता हूं कि यह बहुत छोटा सा है कहां तक उचित है इसको हम फिर देखेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही धारा है। जब ६ को यह पुरःस्थापित किया गया तो काफी समय था। इस पर विवाद कर लेते। ६ को बैठक हुई थी ७ को बैठक हुई थी। दो दिन लगातार बैठक होती रही, लेकिन सरकार की तरफ से यह कोशिश नहीं हुई कि सदन में इस पर विवाद हो। सरकार ने ढील और लापरवाही की। नतीजा यह हुआ कि यह एक गड्ढे में पड़ा रहा और अध्यादेश के औचित्य को बताने लगे। विधान मंडल के कायम रहते हुए अध्यादेश जारी करना कलंक की बात है। सरकार दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छः छः अध्यादेश लाती है। विधान मंडल का सत्रावसान करके एक लम्बे अरसे तक विधान मंडल की बैठक न बुलाना, इसका क्या औचित्य है? सरकार आये और कहे कि हमारी गलती है। जब हमारा विधान मंडल कायम है तो क्यों न सरकार बैठक ऐसे मौके पर बुलाए जब कि उसकी आवश्यकता हो? सरकार मनमाने ढंग से चलती है। जब चाहा सत्रावसान कर दिया, जब चाहा विधेयक को पुरःस्थापित करक पेश ही नहीं किया, एक लम्बे अरसे तक विधान मंडल की बैठक ही नहीं बुलायी फिर अध्यादेश जारी किया, फिर जब अध्यादेश सदन के सामने आया तो इधर उधर की बात कही। एक कहावत है––ऊंट को तवे से नाथना। यह सरकार ऊंट को तवे से नाथना चाहती है। मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार ने समय का मूल्य नहीं आंका। ६ को या ७ को रख सकती थी। यह कोई आवश्यकता नहीं थी कि ७ को नेता सदन सत्र स्थगित कर दें और सारे दिन भी कार्यवाही न होने दें, बीच में ही स्थगित कर दें। वह चाहते तो बैठक स्थगित न करते। यें सभी निरंकुश कार्य हैं जिनका उत्तरदायित्व इस सरकार पर भी है क्योंकि पिछली सरकार का उत्तरदायित्व भी इस सरकार पर है। वह अपनी गलती माने, क्योंकि अध्यादेश का लाना किसी प्रकार उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश इवैकुई इएटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अध्यादेश, १९६०
के निरनुमोदनार्थ संकल्प

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है।

मान्यवर, यह जो अध्यादेश हमें बटा है उस पर सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री के हस्ताक्षर हैं। माना कि सरकार के लोग बदले हैं। लेकिन उससे पहले सरकार को यह महसूस हो गया था कि हमें यह बिल लाना है। यह जो कांग्रेसी घपला आपस का चल रहा है। यह कई महीनों का है। यह बिल पहले आ सकता था। बहुत संभव है कि इसे अली जहीर साहब के दस्तखत बतलाते हैं कि शायद उस समय इसके बारे में सरकार सोच रही थी, अगर यह लिपिबद्ध न भी किया गया था। उन दिनों जब शायद यह सदन चल रहा था, सितम्बर या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अक्तूबर की बात है। जिस फैसले का जिक्र किया गया क्या ही अच्छा होता वह हम लोगों को मुहैया होता, लेकिन यह तो रूल सा हो गया है कि जो भी relevant papers हों वह यहां पर न रहें। यह कोई अपवाद नहीं है इस सरकार के लिए। It has rather become a rule, Sir, rather than exception. बार बार श्रीमन्, के द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहा भी गया है कि रेलीवेंट पेपर्स यहां पर आने चाहिए ताकि सदन में जो लोग जानकारी करना चाहें वह कर सकें। आखिर, इस अध्यादेश के लाने की क्या जरूरत पड़ी ? क्या उसमें बातें हैं, यह सब हमें पढ़ने को नहीं मिलता। हमें डार्क में रखा जाता है।

श्रीमन्, इसके मेमोरंडम में लिखा हुआ है, मेरे पास, श्रीमन्, अंग्रेजी की ही कापी है—

"In their judgement delivered in a Supreme Court appeal—State of Bombay *versus* Supreme General Films Exchange Limited—relating to the court-fees payable on a memorandum of appeal, the Supreme Court of India have held that the right of appeal is a substantive right which vests in a litigant at the date of filing of the suit and as an appeal is a continuation of the suit, such a right can not be impaired by putting a new restriction there on or imposing a more onerous condition."

बात यह हुई श्रीमन्, कि आज तो यह उम्मीद थी नहीं कि आज इतने सारे अध्यादेश आ पायेंगे, तो जल्दी में मैं इसकी कापी हिन्दी में ला न सका। नोटिस आफिस से यही अंग्रेजी की कापी जल्दी में मिल पायी, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। इसका सारांश यह है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि किसी भी आदमी को जो अपील का हक होता है वह उसको पहले से प्राप्त होता है क्योंकि अपील जो है वह मूल जो वाद किया जाता है उसी का आफशूट होता है, उसी को कान्टीन्यू किया जाता है लिहाजा उस पर भी वही कोर्ट फीस लगनी चाहिए जो मूल दावे पर लगाई गई थी। अब सरकार को यह दिक्कत दिखाई पड़ती है कि ओरिजिनल सूट अगर किसी शख्स ने पहले दायर किया हो और पहले उसका फैसला हो गया हो तो वह फैसला होने के बाद अगर सरकार ने एनहैंस किया कोर्ट फीस को तो सरकार का कहना है कि हमें सके नए हिसाब से कोर्ट फीस मिलनी चाहिए। अपील के वक्त उसका वैल्युएशन ज्यादा होगा कोर्ट फीस का क्योंकि रेट बढ़ गया है बमुकाबिले उस दावे के जो नीचे की अदालत में चला था। जैसे श्रीमन्, पहले अगर ३ सौ रुपये तक दस रूपये सैकड़ा कोर्ट फीस लगती थी तो अब वह ११ रु० सैकड़े के करीब लगेगी। मान लीजिए पहले का कोई वाद ३०० रु० का था जिस पर ३० रु० कोर्ट फीस लगी थी। अब इस बीच में ५२ और ५८ में कोर्ट फीस गवर्नमेंट ने बढ़ायी है। अगर कहीं वह फीस पेंडिंग है तो सरकार का मंशा अब यह है कि उसकी अपील पर इनहेन्स्ड रेट से कोर्ट फीस वह ले।

श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आया कि आखीर जो हमारे न्यायालय हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो हमने जब उनको एक निष्पक्ष रूप से इज्जत का खयाल रखा है और ला को सुप्रीम रखा है तो जब भी वह कोई निर्णय देते हैं तो सरकार फौरन उसको सर्कमवेंट करने के लिए आर्डिनेंस या बिल क्यों ले आती है ? एक्जीक्यूटिव की हमेशा यह कोशिश रहती है कि किसी तरह से हो न्यायालय के निर्णय के पर्पज को डिफीट किया जाय।

एक बिल हमने ले डाउन किया। उसका इंटरप्रिटेशन हमने जूडीशियरी पर छोड़ दिया। उसका निर्णय होते ही फौरन सरकार दूसरा आर्डिनेंस या बिल लेकर आती है। उससे भी काम नहीं होता है तो तीसरा लाती है। सेल्स टैक्स में तो यह रात दिन की बात हो गई है। श्रीमन्, यह जो कोर्ट फीस ली जाती है यह हमारे देश के लिए एक कलंक की बात है। कोर्ट फीस तो लेना ही नहीं चाहिए। अभी ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जजेज, एटार्नी जनरल वगैरह बैठे थे। उन्होंने एक बात कही है बड़े जोरदार

श हों में और खासतौर से कोर्ट फीस के बढ़ाये जाने का सख्त विरोध किया है। जिस देश में न्याय बिका करता है तो उसका परिणाम यह होता है कि गरीब चाहे कितना ही सताया जाय, कितनी ही उसको तकलीफ मिले चूंकि उसके पास पैसा नहीं होता है, वह न्याय पाने के लिये खर्च नहीं कर सकता है, इसलिये उसको न्याय नहीं मिल पाता है। जिसके पास पैसा होता है वही न्याय पाता है। अगर इस आर्डिनेंस के मुताबिक किसी ने दावा दायर किया है तो उसको....

श्री अध्यक्ष--आप अपनी बहस को बहुत बढ़ा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं अपनी बहस को उसके उद्देश्य और कारणों तक ही सीमित रखता हूं। अगर कोई आदमी नीचे की कोर्ट में दावा लगाता है और फिर उसका मामला आगे चला जाता है और इसी बीच में अगर यह कोर्ट फीस बढ़ जाती है तो वह कहां से अदा करेगा और क्या उससे लेना वाजिब हो सकता है? जब उसने नीचे की कोर्ट में अपना दावा लगाया तब वह समझता नहीं था कि उसको फीस अधिक देनी पड़ेगी और उसका वह कयास भी नहीं कर सकता था कि इस बीच में फीस इन्हान्स हो सकती है। यह जो हमारे न्यायाधीश हैं जिन्होंने यह फैसला किया है वह कितना संगत फैसला है। वह कहते हैं कि वह प्रोसेस जो लोअर कोर्ट में शुरू हो गया है वह प्रोसेस जब तक अन्तिम अदालत जहां तक वह मुकदमा जा सकता है वहां तक न पहुंचे, वहां तक वही जारी रहता है, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की तरमीम से इससे बड़ा नुकसान गरीबों को हो जायगा।

हमारे मंत्री जी ने फरमाया था कि हमारी प्लानिंग के लिये हमारे पास रुपये की कमी है इसलिये इस रुपये को हम कोर्ट फीस के जरिये से वसूल करना चाहते हैं। यह उन्होंने घोषणा की थी। जिस किसी देश में गरीब को न्याय नहीं मिलता और मुसीबत जदा आदमी को इन्साफ नहीं मिल सके कि वह अदालत तक जा सके तो उस देश के रहने वाले का भला किस प्रकार हो सकता है यह सोचने की बात है। आपने वहां न्याय तक पहुंचने का उनके लिये दरवाजा बन्द कर दिया है। उस देश का प्लानिंग भी कैसे बनेगा, वहां का नियोजन भी किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से कोर्ट फीस बढ़ा कर न्याय बेचने की बात सही नहीं समझी जा सकती।

श्री अध्यक्ष--आप फिर उसी चीज को दोहरा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--यदि किसी केस में देर से फैसला हुआ और इसी बीच में कोर्ट फीस इन्हान्स हो गई तो क्या होगा? जैसे सन् १९५२ में एक ऐक्ट पास हुआ था और उसके साथ ही उस साल किसी ने अपना मुकदमा अदालत में दाखिल किया और सन् १९५८ में आपने फीस बढ़ा दी और वह मुकदमा अपील तक गया तो उसी मुकदमे पर सन् १९५८ में उसको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी....

श्री अध्यक्ष--अब आप दूसरों को मौका दें। इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि ६ वर्ष तक कोई मुकदमा पड़ा रहे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अगर किसी मुकदमे में ६ वर्ष तक फैसला नहीं होता है उसमें किसकी गलती है? यह सरकार की गलती है जो उसने देर की और उसकी गलती की वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा। यह मुवक्किल की गलती नहीं है। उसने तो अपनी अपील दायर कर दी, लेकिन उस पर अगर फैसला नहीं होता है तो इसमें उस लिटिगेन्ट पब्लिक का क्या कसूर है। अगर सरकार १९५८ में कोर्टफीस बढ़ा देती है तो क्या उस गरीब से वह फीस ली जानी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि वह लिये जाने की जरूरत नहीं है। यह सरकार की तरफ से गलती होती है और वह मारा जाता है, वह गरीब जिसका मुकदमा दायर पहले हो चुका है और जिसका फैसला उसको नहीं मिलता है। तो वह क्यों सरकार की गलती को अपने आप भुगते? सरकार के लिये ही यह देखने की बात है कि ज्यादा जज मुकर्रर किये जायं।

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जो सरकार आर्डिनेन्स लाई है उसके लिये यह देखने की बात है।

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपया बैठें। वह सवाल उठता नहीं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं माननीय विष्ट जी के प्रस्ताव का समर्थन करूं एक आधारभूत, फंडामेंटल और बेसिक बात आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस तरह के विषयों पर जिसमें रुपया लेने देने का सवाल हो, किसी प्रकार का टैक्सेशन हो उसमें अध्यादेश आना चाहिये? अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोर्ट फीस या इस प्रकार के अध्यादेश का सवाल है, इससे अलग हमारे देश और प्रदेश में प्रजातांत्रिक परम्पराओं का एक प्रश्न है कि क्या इस तरह के अध्यादेश आ सकते हैं? हमारे संविधान में इनके लिये प्राविजन तो है और मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे संविधान में जो पावर्स ऐक्ट की है वही सब अध्यादेश को प्रदान की गयी है। अध्यादेश द्वारा कोई भी ऐक्ट रिपील किया जा सकता है। अध्यादेश की पावर ऐक्ट की पावर है। इमरजेंसी ऐक्ट, इंग्लैंड में भी हाउस आफ कामन्स ने भी, यह अधिकार ले रखा है, लेकिन उनके यहां इस अधिकार का उपयोग केवल लड़ाई के जमाने में ही हुआ है। मैंने बड़ी कोशिश की इस बात का पता लगाने की कि कब-कब इस प्रकार के इमर्जेंसी लेजिस्लेशन उनके यहां हुए हैं और किन-किन मामलों में हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि वे स्थल मुझे न मिल पाये हों, लेकिन जो मिल पाये उनसे मैं यही जान सका कि केवल लड़ाई के जमाने में इस अधिकार का उपयोग हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मैं आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूं, एक बीमारी है आर्डिनेंसेज की। आर्डिनेन्स उन परिस्थितियों में लगाये जाते हैं, जब उस के बिना बड़ा संकट आ पड़ा हो, सदन के मिलने की संभावना जल्दी न हो। सदन की बैठकें राजनीतिक अथवा किन्हीं दूसरे कारणों से टाल कर के सात सात आर्डिनेंस लगाये जायं यह मैं समझता हूं कि भले ही संविधान के विपरीत न हो किन्तु प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के अवश्य विपरीत है, निश्चित रूप से है। मैं समझता हूं कि इसमें उधर के बैठने वाले भी मेरे साथ होंगे। अध्यादेश का बहुत बड़ी संख्या में उपयोग बहुत अच्छी बात नहीं है।

मैं विशेष तौर से इस अध्यादेश के बारे में कहना चाहता हूं। जिसमें जनता पर रुपये पैसे के बारे में असर पड़ने वाला हो उस मामले में अध्यादेश लागू किया जाना अनुचित है। इसकी इजाजत पहले सदन से लेनी चाहिये थी। अगर हाई कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला कर दिया कि जिसके बाद सदन को इस प्रकार का कोई फैसला करना है कि उसमें उसे रुपया मिल सके, तो हमें यह जरूर देखना चाहिये कि वह फैसला संविधान की इच्छाओं का पालन न करने के बारे में है अथवा किसी टेक्निकल गलती के कारण हुआ है। यह फैसला किसी टेक्निकल गलती के बारे में नहीं दिया गया है। जो फैसले में कहा है वह एक बेसिक, आधारभूत बात है, हमारा अधिकार है कि कोई आदमी अपना अधिकार पाने के लिये ऊपर से ऊपर की अदालत में जा सकता है। कोई टेक्निकल एरर नहीं है। यह बात तो हमारे संविधान की मर्यादा और मंशा, इक्वीटी और जस्टिस के संबंध में है जिसका स्पष्टीकरण संविधान में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि वह फैसला अभी हमें मिल नहीं सका, लेकिन अगर उसे पूरा पढ़ा जायगा तो मेरा ऐसा अनुमान है कि पता लगेगा कि उसमें ऐक्ट की किसी टेक्निकल गलती का समाधान नहीं किया गया है बल्कि पूरे ऐक्ट की मंशा और हमारे संविधान के साथ उसका क्या समन्वय हो इस संबंध में कुछ आधारभूत बातों पर वह फैसला दिया गया है। इसलिये इस प्रकार के मामलों में, जिनमें संविधान की नीयत का स्पष्टीकरण अदालत द्वारा किया गया हो, इस प्रकार के अध्यादेश नहीं होने चाहिए।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि कोर्ट फीस केवल उन्हीं देशों में वसूल की जाती है कि जिनमें साम्राज्यवादी शासन रहा है । अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि इसके पहले जब भारत गुलाम था, प्रीवी काउन्सिल में मुकदमों के लिये कोई फीस नहीं ली जाती थी । वह स्वतंत्र देश की अदालत थी, एक संविधान था और गुलाम देश की अदालतों में कोर्ट फीस लगा करती थी । इंग्लैंड और हमारे संविधान का यह मंशा है कि किंग और जनता के बीच में कोई खाई न रहने पाये इसीलिये वे प्रीवी काउन्सिल में कोई कोर्ट फीस नहीं लगाते थे । लेकिन, श्रीमन्, हमारा दुर्भाग्य रहा है कि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, हमें आजादी मिलने के बाद भी, संविधान के अन्दर स्पष्ट और अत्यन्त सुन्दर शब्दों में इस बात का उल्लेख होने पर भी, यह सब हो रहा है । इस तरह की कोर्टफीस लगाई गयी है कि . . .

श्री अध्यक्ष––अब आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

(इसके बाद सदन १ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१५ फरवरी, १९६१

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८६ पर)

३१ मार्च, १९६० को कानपुर मिल मालिकों के ऊपर बिक्रीकर की बकाया धनराशि की सूची

मिल का नाम	बकाया धनराशि
	रु० नये पैसे
१—सर्वश्री लक्ष्मी रतन काटन मिल्स	४९०.९१
२—सर्वश्री स्वदेशी काटन मिल्स कं० लिमिटेड ..	३,६६,४९३.६९
३—सर्वश्री एच० जी० मिश्र एण्ड कम्पनी ..	३,१२,५४३.४९
४—सर्वश्री माहेश्वरी देवी जूट मिल्स कं० लिमिटेड ..	४,३९,८८९.५६
५—सर्वश्री न्यू विक्टोरिया मिल्स	७,९१,९८६.४४
६—सर्वश्री कानपुर ऊलेन मिल्स	४१,७९३.६६
७—सर्वश्री म्योर मिल्स कम्पनी	७,५४,०२२.३४
८—सर्वश्री गोविन्द ग्रायल मिल्स	८,७३७.८७
९—सर्वश्री नन्हूमल जोतीप्रसाद (महावीर रोलिंग मिल्स)	१४,८१०.००
१०—सर्वश्री रामेश्वरप्रसाद शंकरलाल एण्ड कम्पनी ..	२,०४,३६३.७०
११—सर्वश्री प्यारेलाल हजारीलाल रोलिंग मिल्स ..	२,६८७.५०
योग ..	२९,३७,८१९.१६

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२५१ एल० ए०—१९६१—८·५।